

पत्रांक :- 297 / 29m9
सेवा में,

दिनांक - 4/07/22

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी, नैनीताल

विषय:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.000 (देवलमल्ला) से 2.000 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन ऑनलाईन प्रस्ताव सं० एफ०पी०/यू०के०/रोड/20099/2016 के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1. भारत सरकार का पत्रांक सं० 8 बी०/यू०सी०पी०/06/2015/2016/एफ०सी०/1447 दिनांक 19.01.2022 एवं आपका पत्रांक 1453/12-1 दिनांक 28.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी बिन्दुवार आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

1. बिन्दु सं० 1 विषयांकित मार्ग की स्वीकृति के उपरान्त सर्वेक्षण एवं समरेखन अनुमोदनापरान्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर प्रस्ताव दिनांक 20.06.2021 को ऑनलाईन अपलोड किया गया। तदोपरान्त प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 112/01 यातायात 30/2012 दिनांक 01.02.2013 में निर्देशित किया गया था, कि 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़े जाने हेतु समस्त निर्माण कार्य पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड द्वारा किया जायेगा। उक्त क्षेत्र की जनसंख्या 278 होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1146/29 एम०जी० दिनांक 19.07.2017 द्वारा अधिशाली अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० काठगोदाम को हस्तगत किया गया। परन्तु काफी समय के उपरान्त पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि० काठगोदाम ने अपने पत्रांक 220/ पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० दिनांक 31.08.2020 द्वारा प्रकरण इस खण्ड को इस आशय से लौटाया गया कि संबंधित ग्राम कोर नेटवर्क से नहीं जुड़ा होने के कारण मार्ग का निर्माण कार्य पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड से नहीं किया जा सकता है। जिसकी विस्तृत आख्या आपको इस कार्यालय के पत्र सं० 2058/8सी० दिनांक 01.09.2021 द्वारा प्रेषित की गयी थी। (संलग्न-1) अतः उपरोक्त कारणों से आपत्तियों के निराकरण में समय लगा।
2. बिन्दु सं० 2 पर आख्या आपके स्तर से प्रेषित की जानी है।
3. बिन्दु सं० 3 में मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 से पूर्व ब्रिटिशकाल से निर्मित पैदल मार्ग पर ही प्रस्तावित किया गया है। पूर्व से निर्मित पैदल मार्ग हेतु 6.00 मी० चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किया जाता था, एवं पैदल मार्ग का निर्माण 2.00 मी० चौड़ाई में किया जाता है। विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग का रखरखाव 16.00 किमी० लम्बाई में इस खण्ड के अन्तर्गत है। अवशेष भाग पहाड़पानी तक अ०ख०, लो०नि०वि० भवाली द्वारा किया जाता है। मोटर मार्ग निर्माण ब्रिटिशकाल से निर्मित पैदल मार्ग पर समय - समय पर नदी के डिपोजिट एवं भ्रान के कारण प्रारम्भिक लगभग 250 मी० में मार्ग की चौड़ाई में बढ़ोत्तरी हुई। प्रस्तावित कार्य में पूर्व से निर्मित पैदल मार्ग के प्रथम दो किमी० को मोटर मार्ग में परिवर्तन / सुधारीकरण / डामरीकरण एवं नदी में Causeway प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण इसी पैदल मार्ग पर प्रस्तावित किया गया है। जिस हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। शासन

स्तर से भी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रेषित डी0पी0आर0 की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति भी मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि विभाग के नाम हस्तान्तरण उपरान्त ही प्रदान की जाती है।

4. बिन्दु सं0 4 मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित पैदल मार्ग पर ही प्रस्तावित किया गया है।
5. बिन्दु सं0 5 प्रस्तावित मोटर मार्ग में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी0 चौड़ाई में प्रस्ताव गठित किया गया है। दिनांक 02.02.2022 को आपके विभाग के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर मार्ग हेतु वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौड़ाई में की गयी है। वृक्षों की गणना सूची अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. बिन्दु सं0 6 भाग 2 पैरा 14 में आपके स्तर से आख्या प्रेषित की जानी है।
7. बिन्दु सं0 7 पैदल मार्ग पूर्व से निर्मित है। मार्ग के सुधार एवं निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक है।

उपरोक्त मार्ग के निर्माण होने से स्थानीय जनता को सुगम यातायात, कृषि व्यवसाय एवं चिकित्सा स्वास्थ्य इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके साथ-साथ पर्यटन व्यवसाय के अवसर प्राप्त होंगे।

अतः व्यापक जनहित एवं स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न - 344/11/22

भवदीय

(ड० दीपक गुप्ता)
अधिशायी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल

पत्रांक :- 297 / 29mg

दिनांक - 11/02/22

प्रतिलिपि:-अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कोलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सहायक अभियन्ता द्वितीय, प्रा०ख०, लो० नि० वि० नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/215/2016/एफ0 सी0/1447-

दिनांक: 19/01/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवलामल्ला) से किमी0 2.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/20099/2016)

सन्दर्भ:- कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1251/FP/UK/ROAD/20099/2016 दिनांक 22-11-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15/05/2021 का उत्तर राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य योग्य नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. पाँच वर्ष से अधिक अवधि पूर्व यह प्रकरण को अपलोड किया गया था तथा ई0डी0एस0 का उत्तर पाँच वर्ष से अधिक अवधि उपरान्त दिया गया है। इस अवधि हेतु प्रस्तुत स्पष्टीकरण मान्य योग्य नहीं है।
2. यदि पूर्ण प्रस्तावित प्रकरण वन क्षेत्र में स्थित है, तो इस स्थिति में कं0एम0एल0 पर उपलब्ध विवरण अनुसार वन क्षेत्र में अतिक्रमण परिलक्षित है जिस पर राज्य सरकार का स्पष्ट उत्तर वांछित है।
3. कं0एम0एल0 अनुसार पूरे क्षेत्र में पूर्व से ही मार्ग निर्मित है तथा प्रस्तावित मार्ग पूर्ण रूप से इसी पर स्थित है। अतः पूर्व में इस मार्ग निर्माण की एफ.सी.ए. के तहत स्वीकृति ली गई थी अथवा नहीं, इसकी जानकारी प्रस्तुत करें।
4. राजि अधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में कोई मार्ग अथवा कोई अतिक्रमण स्थित नहीं है जो सही प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में संबंधित वन मंडल अधिकारी निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

5. Land schedule के अनुसार मार्ग निर्माण हेतु पर्याप्तता वन भूमि की गणना 9मीटर चौड़ाई में की गई है तथा सम्बन्धित वृक्षों की गणना भी 9 मीटर में ही की गई प्रतीत होती है। आपसे अनुरोध है कि 7 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
6. राज्य सरकार से अनुरोध है कि भाग- II के पैरा 14 में दी गई detailed profile में सही जानकारी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
7. उपलब्ध मार्ग पर्याप्त चौड़ाई का प्रतीत होता है तथा प्रस्तावित मार्ग की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

प्रस्ताव को आगामी एफ0आर0सी0एम0 की बैठक दिनांक 27.01.2022 में रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि बैठक से पूर्व पूर्ण जानकारी प्रेषित करें एवं सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी द्वारा बैठक में चर्चा के दौरान प्रस्तुतीकरण करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

o/c

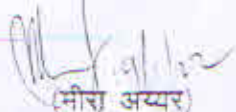

(मीरा अग्रवाल)

उप महानिरीक्षक, वन (फ0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

o/c


(मीरा अग्रवाल)

उप महानिरीक्षक, वन (फ0)



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05948-220002, ई.मेल : dfobld@gmail.com

पत्रांक- 1452 / 12-1, हल्द्वानी दिनांक- 28 / 1 / 2022

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

विषय :-

जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल तल्ला) से किमी० 2.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No- FP/UK/ROAD/20099/2016)

संदर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या- 8बी/यू.सी.पी./06/215/2016/एफ.सी./1447, दिनांक-19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आपत्ति उठायी गयी। उठायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या-5 में 7 मी० सड़क चौड़ाई पर वृक्षों की गणना की जानी है। दिनांक-02.02.2022 की तिथि संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्धारित की जाती है। अतः आप अथवा आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि निर्धारित तिथि 02.02.2022 को समय से मौके पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक : 1452

संख्या/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी नन्धौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- राजि अधिकारी छकाता को इस आशय से प्रेषित की निर्धारित तिथि पर समय से मौके पर मंत्र स्टाफ के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



लिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ईमेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक- 1453 /12-1, हल्द्वानी दिनांक- 28/01/2022

सेवा में,

✓ अधिवासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

विषय:-

Meeting Notice of Fortnightly Coordination Meeting (FRCM) of
January 2022-reg.

संदर्भ :-

अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1838/1जी-2096 (रा०रा०प्रा०) दिनांक- 24/01/2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित व आपको पृष्ठांकित किया गया है
का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, देहरादून के
पत्र दिनांक-19.01.2022 द्वारा प्रकरण में आपत्तियाँ उठायी गयी हैं। अतः उठायी गयी आपत्तियों का
बिन्दुवार सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक : 1453

संख्या/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-

वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, रामपुर रोड, हल्द्वानी को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी